भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 07/08/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29-10-2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडीडी (एसएसआर) – 04/2025

फा. सं. 07/08/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम ' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोइलास्टोमर (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर लगाए गए वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाए जाने हेतु एक निर्णायक समीक्षा शुरु करने की मांग की गई थी।

ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/08/2025-डीजीटीआर दिनांक 16 जून 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन जारी

रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति होगी और क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मूल पाटनरोधी जांच 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/25/2017-डीजीएडी दिनांक 27 दिसंबर 2018 के तहत 18 महीने की अवधि के लिए चीन जन.गण. से फ्लोरोएलस्टोमर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। संबद्ध सामानों पर दिनांक 28 जनवरी 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 27 जुलाई 2020 तक 18 महीने की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. इसके बाद, दिनांक 7 फरवरी 2020 की अधिसूचना संख्या 7/03/2020-डीजीटीआर के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई। जांच होने तक, दिनांक 21 जुलाई 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया था। निर्णायक समीक्षा का अंतिम जांच परिणाम 19 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया और दिनांक 27 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 40/2020 के तहत संबद्ध सामानों पर पांच साल की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. मूल जाँच में, पाटनरोधी उपाय केवल 18 महीने की अवधि के लिए लगाए गए थे। इसके बाद, पहली निर्णायक समीक्षा में, पाटनरोधी उपायों को 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। यह शुल्क 28 जनवरी 2019 को लगाया गया था और यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, तो यह 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।

4. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता, तो ऐसे लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लागू होने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पहले स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उचित समयावधि के भीतर किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर, इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।"

5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम, संख्या फा. संख्या 7/03/2020-डीजीटीआर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 और अधिसूचना संख्या 40/2020 दिनांक 27 नवंबर 2020 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है।

क. नियमावली के नियम 5 के अनुसार, जांच की शुरुआत करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ख. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/08/2025-डीजीटीआर दिनांक 16 जून 2025 जारी की।

ग. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि (पीओआई) 01 जनवरी 2024 - 31 दिसंबर 2024 है। क्षति की सूचना जांच अवधि और पिछले तीन वर्षों,

यानी 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, और 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि प्रदान की गई है।

घ. क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के लिए महानिदेशक सिस्टम और डेटा प्रबंधन (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने लेन-देन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ड. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति भेजी।

च. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई।

छ. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

ज. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

झ. निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया है।

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातकों के नाम
1	केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
2	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
3	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड

4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
5	फ्यूर इंडस्ट्रियल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
6	हंग हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
7	सिचुआन डोहोन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
8	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
9	सोल्वे स्पेशलिटी पॉलिमर्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड
10	टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड, जापान
11	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
12	यूनी एलायंस लिमिटेड

ञ. प्राधिकारी ने आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच की शुरुआत की अधिसूचना और आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:

ट. वर्तमान जांच में निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातकों ने पंजीकरण कराया है।

क्र.सं.	प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम.
1	ईस्टकॉर्प पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	सोल्वे स्पेशलिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड

ठ. प्राधिकारी ने जनहित और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। केवल आवेदक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

ड. निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को

वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

ढ. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 30 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था।

ण. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

त. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

थ. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

द. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होंगे। एनआईपी की गणना इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री

की लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है।

ध. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 20 अगस्त 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो, केवल पिछली अनुरोधों की पुनरावृत्ति थे और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

न. प्राधिकारी ने वर्तमान प्रयोजनों के लिए संगत माने गए और साक्ष्य से समर्थित सीमा तक कार्यवाही के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों की अंतिम जांच परिणाम निकालने में जांच की।

प. *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

फ. जांच अवधि के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.38 रुपये है

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यौगिकों और एफएफकेएम को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

ग.2 आवेदक के अनुरोध

9. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।

ख. एफकेएम का औद्योगिक उपयोग हाइड्रोलिक ओ-रिंग सील, चेक वाल्व बॉल, विद्युत कनेक्टर, शाफ्ट सील में ऑटोमोटिव प्रयोग, ईंधन इंजेक्टर ओ-रिंग, और एयरोस्पेस उपयोग ईंधन, स्नेहक और हाइड्रोलिक प्रणाली, मैनिफोल्ड गास्केट और ईंधन टैंक ब्लैडर में ओ-रिंग सील में होता है।

ग. एफकेएम का भारत या चीन में कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। आयात मुख्यतः एचएस कोड 39046910 और 39046990 के अंतर्गत आए हैं।

घ. पिछली जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से यौगिक और एफएफकेएम को बाहर रखा गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो पिछली जाँचों में परिभाषित किया गया था।

11. मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> *"वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) है। फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) सिंथेटिक रबर का एक वर्ग है जिसे अत्यधिक उच्च तापमान पर प्रचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्कृष्ट समग्र गुणों के कारण, फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को "रबर किंग" कहा जाता है। इसमें पूरी तरह से फ्लोरीनयुक्त आणविक संरचना नहीं होती है, और इसकी मुख्य और पार्श्व श्रृंखलाओं में फ्लोरीन परमाणुओं की प्रबल विद्युत ऋणात्मकता होती है। "फ्लोरोइलास्टोमर्स" फ्लोरोपॉलीमर रबर का एक परिवार है, न कि एक इकाई। इसे उनकी फ्लोरीन सामग्री, क्रमशः*

66%, 68% और 70% के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एफकेएम को मौटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है-कोपोलाइमर और टरपोलाइमर।"

12. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2020 की फा. संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर- के तहत संपन्न की गई निर्णायक समीक्षा जाँच में, यौगिकों और एफएफकेएम को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। संगत उद्धरण नीचे प्रस्तुत है।

"16. उपर्युक्त प्रस्तावित पीसीएन के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि पीयूसी अर्थात फ्लोरोइलास्टोमर्स में कच्चे गोंद और पूर्व-यौगिक दोनों रूपों में और विभिन्न प्रकार के कोपोलिमर और टेरपोलिमर शामिल हैं। यौगिकों और एफएफकेएम को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है।"

13. कोई टिप्पणी न होने पर, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो पिछली जाँच में परिभाषित किया गया था।

14. प्राधिकारी ने एक पीसीएन पद्धति अधिसूचित की है जिसे प्राधिकारी ने पिछली निर्णायक समीक्षा में अपनाया था और आवेदक द्वारा वर्तमान जाँच के लिए प्रस्तावित किया गया था। संबंधित जाँच में हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया था कि वे इस जाँच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति पर, अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दें।

15. रिकॉर्ड में उपलब्ध अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने 8 जुलाई 2025 की सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की और कहा कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति वही रहती है जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है। स्पष्टीकरण जारी होने के बाद, किसी भी हितबद्ध पक्षकार से पीयूसी के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति पर कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

16. तदनुसार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति वही है जो जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित है और दिनांक 8 जुलाई 2025 के नोटिस द्वारा अधिसूचित की गई है। इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	उत्पाद प्रकार का नाम	पीसीएन	पीसीएन का विवरण
1	को-पॉलिमर-कच्चा गोंद	एफसीपी#आरजी0001	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलिमर कच्चा गोंद
2	टरपोलाइमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल कच्चा गोंद	एफटीपीबीआरजी0002	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपोलाइमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल कच्चा गोंद
3	टेरपोलाइमर पेरोक्साइड क्यूरेबल कच्चा गोंद	एफटीपीपीआरजी0003	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपोलाइमर पेरोक्साइड क्यूरेबल कच्चा गोंद
4	को-पॉलिमर प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0004	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) कोपॉलिमर प्री-कंपाउंड
5	टेरपोलाइमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0005	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपोलाइमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड

17. यह उत्पाद सीमा शुल्क कोड 39046910 और 39046990 के तहत अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। संबद्ध सामानों का आयात निम्नलिखित एचएस कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है: 39045090, 39046990, 39049000 और 39046910 ।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

20. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए है:

क. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।

ख. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।

ग. आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:

> *(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का संपूर्ण भारतीय उत्पादन में हिस्सा है।

23. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आंकड़ों की जाँच की है और पाया है कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है।

24. यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. <u>विविध अनुरोध</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं: -

क. पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना एक अपवाद है, और कानून के सामान्य प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्षों के बाद शुल्कों को समाप्त कर दिया जाना अपेक्षित है। मेक्सिको से ओसीटीजी पर यूएस-पाटनरोधी उपायों में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है।

ख. अनिवार्य रूप से निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग. आवेदक को जाँच अवधि के बाद के आँकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

घ. आवेदन-पत्र में व्यापार सूचना 03/2021 द्वारा अनिवार्य महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव है, जैसे कि चीन में कुल और अधिशेष क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात बिक्री के संबंध में सूचना, और सबसे महत्वपूर्ण, जाँच अवधि के बाद के आँकड़े।

ड.3 आवेदक के अनुरोध

26 आवेदक ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं: -

क. शुल्कों को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम या नियमों के तहत "असाधारण परिस्थिति" साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुल्कों बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

ख. प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में मामलों में दूसरी या उससे भी आगे की निर्णायक समीक्षा में शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है।

ग. शुल्क मूल रूप से केवल 18 महीनों के लिए लगाए गए थे। इसके बाद, दो महीने के और विस्तार के बाद, 2020 में शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रहे। इस प्रकार, शुल्क लगभग 6.5 वर्षों से भी कम समय से लागू हैं।

घ. मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा में, आवेदक लगातार घाटे में था। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी राशि बढ़ा दी थी। अतः, केवल वर्तमान समीक्षा की क्षति अवधि में ही आवेदक पाटन के विरुद्ध प्रभावी उपाय प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। यह केवल लागू शुल्कों के कारण ही संभव हो पाया है, जिन्होंने देश में सस्ते आयातों के प्रवाह को प्रतिबंधित किया और घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी। यदि शुल्क जारी नहीं रखे गए, तो चीन जन.गण. के निर्यातक कम कीमतों पर आक्रामक तरीके से निर्यात करना शुरू कर देंगे और घरेलू उद्योग को एक बार फिर क्षति होगी।

ङ. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क आवेदक को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है, शुल्क लगभग 6.5 वर्षों से भी कम समय से लागू हैं। इसके विपरीत, यूरोपीय संघ के उद्योग को बहुत लंबी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क मिलता है। छह महीने की अवधि जिसके लिए अंतरिम शुल्क लागू होता है, उसे पाँच साल की अवधि में भी नहीं गिना जाता है। भारतीय परिपाटी के विपरीत, यूरोपीय संघ शुल्क की समाप्ति के अंतिम महीने और कभी-कभी अंतिम सप्ताह में निर्णायक समीक्षा शुरू करता है, और फिर समीक्षा के परिणाम आने तक पाटनरोधी शुल्क को बढ़ा देता है।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 03/2021 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, जो संशोधित समय-सीमा और आवेदक द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए प्रदान की जाने वाली सूचना से संबंधित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में तीसरे देशों के निर्यात, क्षमता विस्तार, निर्यातोन्मुखता और अधिशेष क्षमताओं के बारे में सूचना प्रदान की है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर जाँच शुरू की गई थी और जाँच शुरू होने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने आँकड़े और विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। प्राधिकारी द्वारा वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में संगत सीमा तक इस पर विचार किया गया है।

28. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि 5 वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करना मानक है और शुल्क को जारी रखना मानक का अपवाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार, समीक्षा में, इस राय पर पहुंचती है कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर ऐसे लगाए जाने की अवधि को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9(क)(5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार, शुल्क के लागू रहने की अधिकतम अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शुल्कों के विस्तार के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन के जारी रहने या बार-बार होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क को पाटन और क्षति की संभावना को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, या यदि शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसे वापस लिया जा सकता है।

29. वर्तमान मामले में आवेदक ने पाटन जारी रहने या उसके बार-बार होने तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का तर्क देते हुए आवेदन-पत्र दायर किया है। नियम 23 (1ख) के तहत एक समीक्षा शुरू की गई है और प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के बार-बार जारी रहने की संभावना है या नहीं।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (सीसीएफ), केमर्स और झोंगहाओ चेंगुआंग के बीच 50:50 अनुपात वाला एक संयुक्त उद्यम है।

ख. सीसीएफ पहली बार इस जाँच में भाग ले रहा है और उसने पिछली जाँचों के दौरान उत्पाद का निर्यात नहीं किया था।

ग. सीसीएफ को पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत "नए शिपर" के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसे मौजूदा उत्पादक से 'संबद्ध' है जो पहले से ही मूल जाँच का हिस्सा रहा है।

घ. सीसीएफ, झोंगहाओ चेंगुआंग से संबद्ध है क्योंकि झोंगहाओ चेंगुआंग में 5% से अधिक शेयर रखने वाला व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से (झोंगहाओ चेंगुआंग के माध्यम से) संयुक्त उद्यम कंपनी में भी 50% शेयर रखता है और इस प्रकार यह स्थिति व्यापार सूचना संख्या 9/2018 के खंड (iv) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

ड. कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से एलडीपीई के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने दो निर्यातकों (सदारा और पेट्रो रबीग) को एकल इकाई माना। सदारा में प्रमुख शेयरधारिता सऊदी अरामको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पास है, और सऊदी आर्मको भी पेट्रो रबीग से संबद्ध है।

च. तीसरे देश की निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में उपयोग करना अनुबंध I के पैरा 7 के तहत विवेकाधीन है और इसे केवल तभी अपनाया जाना चाहिए जब इससे भारत में घरेलू या निर्मित कीमतों की तुलना में अधिक सटीक और निष्पक्ष तुलना प्राप्त हो।

छ. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने इस दावे पर विवाद किया है कि केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड उनसे संबद्ध है। यह कहा गया है कि केमर्स शंघाई और झोंगहाओ चेंगुआंग एक ही समूह नहीं हैं।

ज. एलडीपीई मामले का संदर्भ उचित नहीं है क्योंकि वहां निर्यातकों को एकल कंपनी माना गया था क्योंकि वे न केवल संबद्ध थे बल्कि समान निर्यात चैनलों के माध्यम से प्रचालित भी थे और एक एकीकृत समूह के रूप में कार्य करते थे। वर्तमान मामले में, केमर्स शंघाई और झोंगहाओ चेंगुआंग स्वतंत्र हैं, एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और अलग-अलग निर्यात करते हैं।

झ. आवेदक के इस दावे पर कि निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में अपनी संबद्ध कंपनियों की कीमत के बारे में सूचना प्रदान कर सकते थे, किसी निर्यातक पर किसी तीसरे देश की उत्पादन लागत या बिक्री कीमत के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, केवल इसलिए कोई समूह कंपनी ऐसे तीसरे देश में मौजूद है। प्रत्येक कानूनी कंपनी से संबंधित आंकड़े गोपनीय है और आवेदक ने उस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत ऐसे आंकड़े मांगे जा सकते है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. अभिगम नयाचार और प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था वाला व्यवहार तभी स्वीकार्य हो सकता है जब उसका दावा किया जाए और उसकी उपयुक्तता दर्शाई जाए।

ख. किसी भी उत्पादक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दाखिल नहीं की है।

ग. अन्य किसी ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, इसलिए प्राधिकारी को चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

घ. सामान्य मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमत पर आधारित होना चाहिए, जिसे निवल कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए समायोजित किया गया हो।

ङ. पिछली जाँच में, चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कच्चे गोंद की कीमतें यौगिक-पूर्व कीमतों से अधिक थीं, इस पद्धति का अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विरोध किया गया था और प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विधिवत समायोजित, सामान्य मूल्य निर्धारित किया था।

च. वर्तमान जांच की जांचावधि में, अमेरिका से कच्चे गोंद और यौगिक-पूर्व कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप रही हैं।

छ. प्रतिभागी निर्यातकों के प्रचालन यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में है। डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड, डाइकिन इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है, जिसका अमेरिका में डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स यूएसए नामक एक प्रभाग है, जो संबद्ध सामानों का निर्यात करता है। सोल्वे स्पेशियलिटी पॉलिमर्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड, सोल्वे समूह का एक हिस्सा है, जिसके प्रचालन अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित कई देशों में है। इन निर्यातकों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देशों से भारत को अपने निर्यात की सूचना प्रदान करनी चाहिए थी।

ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के अनुक्रम के अनुसार, भारत में प्रदत्त कीमत भारत में देय कीमत पर पूर्वोदाहरण लेती है। चूंकि आवेदक को जांच की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए उसकी बिक्री कीमत देश में उपलब्ध वास्तविक कीमत है और इसे सामान्य मूल्य माना जा सकता है।

झ. सीसीएफ द्वारा झोंगहाओ चेंगुआंग के समान शुल्क प्रदान करने के अनुरोध पर, केवल दो कंपनियों के बीच संबंध शुल्क समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है।

ञ. आवेदक ने उपायों के विस्तार की मांग की है, और यह कोई वर्तमान क्षति का मामला नहीं है, इसलिए मौजूदा शुल्कों को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

ट. डीओपीपी के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने कोडक और लकी पर उनके स्वीकृत संबंध के बावजूद पाटनरोधी शुल्क समाप्त नहीं किया है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

क. सामान्य मूल्य

32. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i)व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii)जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य

मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

33. निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है।

क. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड

ख. केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, मेसर्स केमर्स केमिकल शंघाई) कंपनी लिमिटेड, टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड, जापान के माध्यम से।

ग. डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड और इसका निर्यातक यूनी एलायंस।

घ. सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और निर्यातक डोहोन इंटरनेशनल।

ङ. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

34. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करते हैं:

"7.गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है,या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उप उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के

भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य सामानों कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सामानों के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षें के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू.टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां

इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जो संगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैरा (3) में निर्धारित मानदंड शामिल हों, उस किसी देश द्वारा पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए निर्धारित अथवा सार्वजनिक दस्तावेज में उस मूल्यांकन के प्रकाशन से माना गया हो, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।

35. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की धारणा से कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और यह सूचना प्रदान करें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

36. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

" (क)जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के

संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग)आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र

में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों की अपेक्षा होती है।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित अवधारणाओं का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।

39. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने की तीन पद्धतियां निर्धारित की गई हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सबसे पहले किसी प्रतिनिधिक देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

40. आवेदन-पत्र दायर करने के चरण में, आवेदक ने अनुरोध किया कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमत पर आधारित होना चाहिए, जिसे निवल कारखानागत स्तर निकालने के लिए समायोजित किया गया हो। आवेदक ने इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य प्रस्तुत किया है।

41. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया गया है।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान, कोपोलिमर कच्चे गोंद की आयात कीमत, कोपोलिमर यौगिक-पूर्व की आयात कीमत से अधिक है। कच्चा गोंद, कोपोलिमर यौगिक-पूर्व के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है और इसलिए, कच्चे गोंद की आयात कीमत बाजार कीमतों को दर्शाती हुई प्रतीत नहीं होती।

43. प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक तथा उचित लाभ मार्जिन शामिल है, के आधार पर किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

i. <u>चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड</u>

44. उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। उत्पादक ने कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों की सूचना दी है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

ii. <u>केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड</u>

45. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने अपनी संबद्ध कंपनी मेसर्स केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, जिसने फिर (क) टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड जापान के माध्यम से निर्यात किया है अथवा (ख) असंबद्ध आयातक टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड को निर्यात किया है। इन सभी कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

46. उत्पादक ने कहा है कि यह केमर्स केमिकल्स समूह और झोंगहाओ चेंगुआंग (एक प्रतिभागी उत्पादक) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। सीसीएफ ने दावा किया है कि उसने पहली बार भाग लिया है और पिछली जाँचों के दौरान उसने उत्पाद का निर्यात नहीं किया था। सीसीएफ ने अनुरोध किया है कि या तो उसे एक अलग शुल्क दिया जाए या झोंगहाओ चेंगुआंग पर लागू शुल्क उत्पादक पर भी लागू किया जाए। आवेदक और झोंगहाओ चेंगुआंग ने इस पर विवाद किया है और दावा किया है कि केवल संबंध का होना ही पर्याप्त नहीं है। झोंगहाओ ने यह भी अनुरोध किया है कि दोनों कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और एक-दूसरे के प्रचालनों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। प्रत्येक कंपनी अपने वाणिज्यिक निर्णय स्वयं लेती है और अपने निर्यात का प्रबंधन स्वयं करती है। यह सिद्ध परिपाटी है कि संबंधित निर्यातकों को समान दर तब तक नहीं दी जाती जब तक कि वे एक ही आर्थिक कंपनी का हिस्सा न हों या समान नियंत्रण में न हों, जो वर्तमान जाँच में नहीं हैं।

47. प्राधिकारी ने किए गए अनुरोधों की जाँच की है। वर्तमान मामले में, इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि दोनों कंपनियों के स्वतंत्र प्रचालन हैं। इसके विपरीत, झोंगहाओ चेंगुआंग ने इस संबंध पर विवाद किया है और दावा किया है कि वे एक ही समूह का हिस्सा नहीं हैं। दोनों कंपनियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, और कीमत निर्धारण, निर्यात या उत्पादन में कोई समन्वय नहीं है।

48. इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

iii. <u>डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड</u>

49. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। उत्पादक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों की सूचना दी है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

iv. <u>सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड</u>

50. उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने अपने संबद्ध निर्यातक - डोहोन इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों की सूचना दी है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

v. <u>झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड</u>

51. उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

vi. <u>कोई अन्य</u>

52. चीन के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

53. उपरोक्त के आधार पर, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे दर्शाया गया है।

54. यह देखा गया है कि डंपिंग मार्जिन चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड और सिचुआन डोहोन न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के लिए सकारात्मक है, लेकिन अन्य के लिए नकारात्मक है।

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	20-30%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी	***	***	***	30-40%

	लिमिटेड				
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	नकारात्मक
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	नकारात्मक
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	नकारात्मक
6	अन्य	***	***	***	40-50%

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन तथा क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जाँच की अवधि में वृद्धि दर में काफी हद तक गिरावट आई है।

ख. बिक्री के लिए घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जबकि कुल माँग में कमी आई है।

ग. संबद्ध आयातों का आयात मूल्य संबद्ध सामानों की कुल माँग के अनुरूप रहा है।

घ. जाँच की अवधि में आवेदक के लाभ में काफी वृद्धि हुई है, जबकि माँग में कमी आई है।

ङ. पाटनरोधी शुल्क चार वर्षों से अधिक समय से लागू है; आवेदक ने अपनी बाजार स्थिति को पहले ही उस सीमा तक समेकित और सुदृढ़ कर लिया है, जहाँ तक वह संबद्ध सामानों की भारतीय माँग को पूरा कर सकता है।

च. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, सेस्टैट ने माना कि 'अधिशेष उत्पादन क्षमता की मौजूदगी क्षति के स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न खतरे के रूप में नहीं ली जा सकती।'

छ. केवल क्षमता विस्तार के तर्क का आरोप पाटन की संभावना को सिद्ध नहीं करता।

ज. जापान से आने वाले संक्षारण-रोधी कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों की अमेरिकी निर्णायक समीक्षा में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल ने कहा कि अनुच्छेद 11.3 के तहत संभाव्यता निर्धारण के संबंध में निकाले गए किसी भी निष्कर्ष को सकारात्मक रूप से और प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए।

झ. क्षति की संभावना के बारे में आवेदक के दावे प्रमाणित नहीं हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

ञ. केवल किसी एक उत्पादक का क्षमता विस्तार ही संभावना का आधार नहीं हो सकता।

छ.2. आवेदक के अनुरोध

56. आवेदक ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आयात की मात्रा में इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह जाँच अवधि में सबसे अधिक थी। वास्तव में, शुल्क लगाए जाने के बाद से, संबद्ध देश से आयात में 158% की वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध आयातों ने आवेदक का बाजार हिस्सा छीन लिया है और भारत में खपत के सापेक्ष इसमें वृद्धि हुई है।

ग. डाइकेन के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है, जबकि अन्य चीनी उत्पादकों के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है।

घ. वर्तमान क्षति अवधि के दौरान, आवेदक ने जोल्वा में 3,600 एमटी क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है। परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि क्षमता उपयोग में कमी आई है।

ङ. आवेदक की घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है, लेकिन क्षमता और घरेलू बिक्री में वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देश से आयातों ने बाजार हिस्सेदारी के लगभग एक तिहाई हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है।

च. जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। अपनी क्षमता और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, आवेदक का देश में बाहार हिस्से के आधे से कम का हिस्सा है।

छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में सुधरी और फिर 2023-24 में घटी और उसके बाद जांच अवधि में बढ़ी। नकद लाभ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। आवेदक के निवेश पर आय 2022-23 के बाद काफी कम हो गई है।

ज. लागू शुल्कों के कारण, आवेदक ने अपने आर्थिक मापदंडों में वृद्धि देखी है। तथापि, फिर भी, हाल के वर्षों में इसकी लाभप्रदता कम रही है।

झ. सूचना दर्शाती है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है। निरंतर पाटन का तथ्य अकाट्य रूप से दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर और गंभीर पाटन की संभावना है।

ञ. आवेदक ने वर्तमान जांच में निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, आयात की संभावित मात्रा और कीमत तथा घरेलू उत्पादकों पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, क्षति के बार-बार होने की संभावना है।

ट. आयात की मात्रा में इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी। शुल्क लगाए जाने के बाद से, संबद्ध देश से आयात में 158% की वृद्धि हुई है।

ठ. भारत निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो चीनी निर्यातक भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे।

ड. डाइकेन और अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग से कीमत कटौती निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि डाइकेन के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है, जबकि अन्य चीनी उत्पादकों के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है।

ढ. आवेदक की क्षमता और उत्पादन में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि आवेदक द्वारा नया संयंत्र स्थापित करने के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है।

ण. यद्यपि घरेलू बिक्री में क्षमता और घरेलू बिक्री में वृद्धि के बावजूद संबद्ध देश से आयातों ने बाजार हिस्से का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ले लिया है।

त. आवेदक देश में एकमात्र उत्पादक है और उसके पास देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी काफी कम रही।

थ. जांच की अवधि में आवेदक की अंतिम मालसूची सबसे अधिक थी।

द. उत्पादन और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में औसत मालसूची भी क्षति अवधि में बढ़ी है और जांच अवधि में सबसे अधिक थी।

ध. चूंकि आवेदक ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है।

न. आवेदक की लाभप्रदता और नकद लाभ 2022-23 में सुधरे और फिर 2023-24 में घटे और उसके बाद जांच की अवधि में बढ़े।

प. आवेदक के निवेश पर आय 2022-23 के बाद काफी कम हो गई है।

फ. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम है बल्कि काफी है।

ब. निरंतर पाटन का तथ्य दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर और गंभीर पाटन की संभावना है।

भ. यह तथ्य कि आयात वर्ष भर में बढ़ा है और जाँच अवधि में सबसे अधिक था, यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आयात की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है।

म. संबद्ध सामानों के सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में से एक, सोल्वे ने एफकेएम के लिए अपनी क्षमता बढ़ा दी है।

य. चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं और एफकेएम का अधिकांश निर्यात भारत, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका को लक्षित है।

कक. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन पॉलीमर कंपनी लिमिटेड, अपने वार्षिक उत्पादन का 80-90% निर्यात करती है और कंपनी द्वारा किए गए निर्यात का 16% भारत को किया जाता है।

खख. चीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोरोरबर उत्पादक है। चीन की फ्लोरोरबर उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 30,300 टन तक पहुँच जाएगी और यह विश्व की कुल फ्लोरोरबर उत्पादन क्षमता का लगभग 46.62% है।

गग. चीन में फ्लोरोरबर उद्योग की क्षमता भारत की माँग से कहीं अधिक है।

घघ. जांच की अवधि के दौरान, एशिया में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन 22,351 एमटी था और पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है और अगले तीन वर्षों में ऐसा होना जारी रहेगा। एशिया प्रशांत फ्लोरोपॉलिमर बाजार में चीन की हिस्सेदारी 2027 में 61% होगी।

डड. महत्वपूर्ण निर्यात योग्य क्षमताओं को रखने के अलावा, संबद्ध देश में उत्पादक महत्वपूर्ण बेकार क्षमताओं से भी पीड़ित थे।

चच. संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी उत्पादकों के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है, लेकिन सीमा शुल्क में हाल ही में वृद्धि के साथ, यह संभावना है कि चीनी निर्यातक अपना निर्यात बाजार अमेरिका से भारत की ओर ले जाएंगे।

छछ. उत्पाद का उत्पादन पहले कच्चे गोंद के रूप में किया जाता है जिसे कुछ योजकों को मिलाकर और उत्पाद को आगे संसाधित करके यौगिक-पूर्व में प्रसंस्कृत किया जाता है। यौगिक-पूर्व की आयात कीमत कच्चे गोंद की आयात कीमत से कम है।

जज. आवेदक ने वैश्विक फ्लोरोपॉलिमर बाजार को दिखाने के लिए एक तृतीय-पक्ष रिपोर्ट (एस्ट्यूट एनालिटिका द्वारा) प्रदान की है। रिपोर्ट दर्शाती है कि चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है।

झझ. विचाराधीन उत्पाद का भारत और चीन में कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। आयात मुख्यतः एचएस कोड 39046910 और 39046990 में हुआ है। चूँकि आवेदक के पास लेन-देन-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वह क्षति की संभावना के उद्देश्य से चीन के पीसीएन-वार निर्यात कीमत की अन्य देशों से तुलना करने की स्थिति में नहीं है।

ञञ. इस अनुरोध के संबंध में कि माँग में गिरावट आई है और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, उत्तरदाता ने गलत तथ्य दिए हैं। विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ....." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में

वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

58. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों को यथा-तथ्यतः हल करता है।

59. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक से जाँच अवधि के बाद के आँकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने कोई उचित कारण नहीं बताया है कि जाँच अवधि के बाद के आँकड़ों पर विचार क्यों किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने जाँच अवधि के बाद के आँकड़ों की जाँच करना उचित नहीं समझा।

60. चीन से भाग लेने वाले उत्पादक द्वारा सूचित आयात आँकड़े डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आँकड़ों से अधिक हैं। प्राधिकारी ने 39045090, 39046910, 39046990 और 39049000 के लेन-देन-वार आयात आँकड़े माँगे थे। हालाँकि, आयात आँकड़ों में केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (सीसीएफ) शामिल नहीं है। नीचे दी गई तालिका सीसीएफ द्वारा सूचित निर्यात मात्रा दर्शाती है।

विवरण	सीवाई 2021	सीवाई 2022	सीवाई 2023	जांच की अवधि (सीवाई 2024)
(ख) निर्यात बिक्री-भारत प्रवृत्ति	***	***	***	***

61. चीन से आयात की मात्रा का पता लगाने के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार आयात आंकड़ों और सीसीएफ द्वारा रिपोर्ट की गई आयात मात्रा

पर विचार किया है। सीसीएफ ने जांच अवधि से पहले के आंकड़ों को कैलेंडर वर्ष प्रारूप में सूचित किया है, जो प्राधिकारी द्वारा मानी गई लेखांकन अवधि से भिन्न है। अत:, प्राधिकारी ने केवल जांच अवधि के लिए ही यह पद्धति अपनाई है। पिछले वर्षों में आयात की मात्रा भी कम रही है।

क्र.सं.	विवरण	जांच की अवधि
1	डीजी सिस्टम (एमटी) के अनुसार आयात	***
2	उत्पादक के अनुसार आयात	***
3	कुल आयात	608

62. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पहले आवेदक को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

छ.3.1 पाटित आयातों पर मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

63. मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण आवेदक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	आवेदक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	184	193
3	संबद्ध आयात	एमटी	217	303	450	608
	अनुचित आयात	एमटी				393
4	अन्य आयात	एमटी	548	559	590	574
5	खपत	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	157	171

64. यह देखा गया है कि संबद्ध उत्पाद की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और जाँच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।

ख. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

65. क्षति अवधि और जाँच की अवधि में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात की मात्रा की सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	संबद्ध आयात	एमटी	217	303	450	608
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	111	98
ख	खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	132	164
ग	कुल आयात	%	28%	35%	43%	51%

66. यह देखा जाता है कि:

क. क्षति की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और जाँच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।

ख. उत्पादन के संबंध में आयात 2022-23 में घट गया, 2023-24 में बढ़ा लेकिन जाँच की अवधि में फिर से घट गया।

ग. भारत में खपत के संदर्भ में संबद्ध आयातों में वृद्धि का रुझान देखा गया है। खपत के संबंध में आयात जाँच अवधि में सबसे अधिक है।

घ. देश में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि देखी गई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

67. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान

उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाना या कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक हो जाती।

क. <u>कीमत कटौती</u>

68. आवेदक की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। यह तुलना पीसीएन-वार आधार पर की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	पीसीएन	आयात मात्रा	बिक्री कीमत	पहुंच कीमत	कीमत कटौती	
		एमटी	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	%
1	एफसीपी#आरजी0001	***	***	1,215	***	30-40%
2	एफटीपीबीआरजी0002	-	-	-	***	0%
3	एफटीपीपीआरजी0003	***	***	3,522	***	नकारात्मक
4	एफसीपी#पीसी0004	***	***	1,283	***	नकारात्मक
5	एफसीपी#पीसी0005	***	***	2,059	***	नकारात्मक
6	कुल	***	***	**1,957**	***	नकारात्मक

69. कीमत कटौती समग्र आधार पर नकारात्मक है। को-पॉलिमर कच्चा गोंद (एफसीपी#आरजी0001) और टरपोलाइमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (एफसीपी#पीसी0005) के लिए कटौती सकारात्मक है।

70. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूँकि प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा सूचित आयातों की मात्रा डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा से अधिक है, इसलिए इस पद्धति के आधार पर कीमत कटौती का विश्लेषण करना उचित समझा गया है। प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों और निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण किया है, जो नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	आयात मात्रा	निवल बिक्री कीमत	पहुंच कीमत	कीमत कटौती	
		एमटी	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	%
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	45-55%
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***	नकारात्मक
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
6	कुल	572	***	2,164	***	नकारात्मक

71. यह देखा जाता है कि कीमत कटौती, डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी और केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के लिए नकारात्मक है, जबकि अन्य सभी उत्पादकों के लिए यह उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक है।

ख. <u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या

कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	110	90
3	बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	100	91

73. यह देखा जाता है कि:

क. आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत 2022-23 में बढ़ी, लेकिन 2023-24 में घटी और जाँच की अवधि में और भी कम हुई।

ख. आवेदक क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम रहा है।

ग. जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का कोई न्यूनीकरण या ह्रासमान प्रभाव नहीं था।

घ. आवेदक ने उल्लेख किया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण उसे निरंतर क्षति नहीं हुई है। आवेदक पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में वास्तविक क्षति के बार-बार हाने की संभावना का दावा कर रहा है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

74. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि उन उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच क्षति के निर्धारण में शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणमी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष

मूल्यांकन शामिल होगा और उन तत्वों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित सभी तत्व शामिल होंगे। आवेदक से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री</u>

75. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की सूचना इस प्रकार है। प्री-कंपाउंड के उत्पादन के लिए कच्चे गोंद का उपयोग किया जाता है। प्राधिकारी ने कच्चे गोंद के स्तर पर क्षमता और क्षमता उपयोग पर विचार किया है, जो नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	कच्चे गोंद की संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	360	320	320
3	क्षमता उपयोग के उद्देश्य से कच्चे गोंद का कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	241	175	261
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	55	82

76. नीचे दी गई तालिका आवेदक के कुल उत्पादन, घरेलू और निर्यात बिक्री को दर्शाती है। बिक्री योग्य कच्चे गोंद के उत्पादन की गणना, विचाराधीन अन्य उत्पाद के उत्पादन में अंतरित कच्चे गोंद से उत्पादित कुल कच्चे गोंद को घटाकर की गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-	2023-	जांच की

				23	24	अवधि
1	बिक्री योग्य कच्चे गोंद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
2	प्री-कंपाउंड और अन्य टेरपोलाइमर का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
3	विचाराधीन उत्पाद का कुल बिक्री योग्य उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	188	287
5	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	184	193
7	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	255	162	245

77. यह नोट किया जाता है कि:

क. आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान 3,600 एमटी क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

ख. क्षति की अवधि के दौरान आवेदक का उत्पादन बढ़ा है, जबकि क्षमता उपयोग में कमी देखी गई है।

ग. क्षति की अवधि के दौरान आवेदक की घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री दोनों में वृद्धि हुई है।

78. इस प्रकार यह देखा जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग निष्क्रिय क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है और वर्तमान में आयात मांग में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को पूरा करता है।

ख. <u>बाजार हिस्सा</u>

79. क्षति अवधि के दौरान आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की सूचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	117	113
3	संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	132	164
5	अन्य आयात	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	68	61

80. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। चीन से संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी भी क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है। अपनी क्षमता और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, आवेदक देश की केवल आधी मांग को ही पूरा कर पाता है, जिससे उसकी सुवेद्यता दर्शाता है।

ग. <u>मालसूची</u>

81. मालसूची संबंधी सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	195	185
3	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	330	265	481
5	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	160	221	295

82. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान औसत मालसूची में लगातार वृद्धि हुई है। जाँच की अवधि में अंतिम मालसूची, क्षति अवधि की तुलना में सबसे अधिक थी।

घ. <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय</u>

83. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ संबंधी सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	लाभ/(हानि)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	215	65	93
3	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	247	121	180
5	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	243	130	188
7	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	127	175
9	निवेश पर आय	%	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	29	49

84. यह देखा जाता है कि:

क. 2022-23 में लाभप्रदता में वृद्धि हुई, लेकिन 2023-24 में इसमें गिरावट आई। हालाँकि जाँच की अवधि में लाभप्रदता में फिर से वृद्धि हुई है, लेकिन यह 2021-22 और 2022-23 की तुलना में कम है।

ख. नकद लाभ और ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ में लाभ के समान ही प्रवृत्ति रही है।

ग. जाँच की अवधि में नियोजित पूँजी पर आय क्षति अवधि की शुरुआत से आधे से भी अधिक कम हो गई है।

ङ. <u>रोज़गार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

85. क्षति अवधि के दौरान रोज़गार, मजदूरी और उत्पादकता संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	209	209
3	वेतन और मजदूरी	रु./लाख	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	91	335
5	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	225	170	253
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	82	121

86. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के साथ, कर्मचारियों की संख्या और प्रदत्त मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि रोज़गार और मजदूरी घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रतिकूल प्रभावों नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये कारक कंपनी के समग्र संचालन और अर्थव्यवस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं।

च. <u>वृद्धि</u>

87. वृद्धि संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	उत्पादन	%	(33)	(18)	49
2	घरेलू बिक्री	%	15	61	5
3	लाभ/हानि	%	(33)	(18)	49
4	नकद लाभ	%	115	(70)	43
5	मालसूची	%	47	(80)	66
6	नियोजित पूंजी पर आय	%	60	38	34

88. यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि में अधिकांश कारकों में वृद्धि सकारात्मक रही है। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि शुल्कों ने घरेलू उद्योग को वृद्धि करने में सहायता की है।

छ. <u>पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

89. घरेलू उद्योग मूल और निर्णायक समीक्षा जाँच में घाटे में था। प्रथम अंतिम समीक्षा में उपायों में वृद्धि के बाद घरेलू उद्योग ने लाभ दर्ज किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षमता वृद्धि करने का अवसर मिला है। अतः, शुल्क लगाने से अब घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताएँ बढ़ाने का अवसर मिला है।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u>

90. यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन जारी है, और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और कुछ प्रतिभागी उत्पादकों के लिए काफी है।

झ. <u>कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

91. यह देखा जाता है कि शुल्कों ने आवेदक को वृद्धि करने में सहायता की है। घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है। घरेलू उद्योग की कीमतें किसी अन्य कारक से प्रभावित नहीं हुई हैं।

ज. <u>**पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना**</u>

92. वर्तमान जाँच चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

93. प्राधिकारी ने नियम 23 की धारा 9क(5) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जाँच की है।

94. ऐसा संभावित विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, जैसे:

क. भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ेगा और आगे आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और

घ. वस्तु की मालसूची की जाँच की जा रही है।

95. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करने के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं और निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, और यदि ऐसा है, तो क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सभी संगत सूचनाओं की जाँच की है।

क. <u>चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन</u>

96. नीचे दी गई तालिका मूल, प्रथम निर्णायक और वर्तमान जाँच (प्रतिभागी उत्पादकों के लिए) में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	पाटन मार्जिन %
1	मूल जांच	20-30% to 40-50%
2	प्रथम निर्णायक समीक्षा	0-20% to 20-40%
3	वर्तमान निर्णायक समीक्षा	नकारात्मक और 20-50%

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से पाटन जारी है। निरंतर पाटन यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन जारी रहने और बढ़ने की संभावना है क्योंकि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है।

ख. <u>संबद्ध सामानों के आयात में वृद्धि</u>

98. नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि में आयात मात्रा दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	चीन से कुल आयात	एमटी	217	303	450	608

99. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के आयात में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है और जाँच की अवधि में यह सबसे अधिक थी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित आयातों में वृद्धि, उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयातों में और वृद्धि की संभावना दर्शाती है।

ग. <u>तृतीय देश के पाटन और तृतीय देश से क्षतिकारक आयात</u>

100. प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई तृतीय देशों को निर्यात के संबंध में सूचना की जाँच की है। नीचे दिए गए विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संबद्ध कंपनियों को किए गए निर्यातों पर विचार नहीं किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	कुल निर्यात एमटी	भारत में कीमत से कम निर्यात एमटी	पाटित कीमतों पर निर्यात एमटी	क्षतिकारक कीमत पर निर्यात एमटी
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***

3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
6	भाग लेने वालों की कुल संख्या	1,167	1,338	631	990

101. उपरोक्त के आधार पर, यह देखा जाता है कि

क. सभी प्रतिभागी उत्पादकों के लिए अन्य देशों को किए जाने वाले अधिकतर निर्यातों की कीमतें भारत में कीमतों से कम हैं, जो यह सिद्ध करता है कि भारतीय बाजार में कीमतें आकर्षक हैं और इसलिए, भारतीय बाजार इन उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार है।

ख. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के मामले में, तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात का बड़ा हिस्सा पाटित कीमतों पर है।

ग. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के मामले में, तीसरे देशों को किए जाने वाले अधिकांश निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। तथापि, डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी के मामले में, प्राधिकारी ने पाया है कि तीसरे देशों को निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर नहीं हैं।

घ. भाग लेने वाली कंपनियों से तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम कीमत, भारत में बिक्री मूल्य और घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर निर्यात की संचयी मात्रा कुल आयात, घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारत में खपत के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है।

घ. <u>चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं</u>

102. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं क्योंकि चीन संबद्ध सामानों के शीर्ष तीन निर्यातकों में से एक है और एफकेएम के अधिकांश निर्यात भारत, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका को लक्षित हैं। आवेदक ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं कि चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन पॉलीमर कंपनी लिमिटेड अपने वार्षिक उत्पादन का 80-90% निर्यात करती है और कंपनी द्वारा किए गए निर्यात का ***% भारत को किया गया है।

103. प्राधिकारी ने प्रतिभागी निर्यातकों के आंकड़ों की जांच की है। नीचे दी गई तालिका उत्पादकों की निर्यात मात्रा और उत्पादन दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	एमटी में उत्पादन	एमटी में निर्यात			% में निर्यातोन्मुख
			भारत	आरओडब्ल्यू	कुल	
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	45-55%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35%
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***	45-55%
5	केमर्स चेंगुआंग	***	***	***	***	30-35%

	फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड					
6	भाग लेने वालों की कुल संख्या	10,064	596	2522	3117	31%

104. कुछ प्रतिभागी उत्पादकों ने अपने उत्पादन के प्रतिशत के रूप में उल्लेखनीय उच्च निर्यात की सूचना दी है। इससे पता चलता है कि उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात बाजार के लिए है, जो उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयात में वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

ड. <u>संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार का महत्व</u>

105. आवेदक ने दावा किया था कि भारतीय बाजार संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में प्रतिभागी उत्पादकों के कुल निर्यात में भारतीय निर्यातकों के हिस्से की तुलना की है।

क्र.सं.	विवरण	भारत को निर्यात	कुल निर्यात	भारतीय निर्यातों का हिस्सा
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	25-35%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	30-40%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	10-20%
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	10-20%
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	10-20%
6	भाग लेने वालों का कुल योग	***	***	10-20%
7	संबद्ध कंपनियों को घटाकर निर्यात	***	***	

8	असंबद्ध कंपनियों को निवल निर्यात	596	2062	29%

106. प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा सूचित किए गए कुल आंकड़ों के आधार पर, यह देखा जाता है कि लगभग 20% निर्यात भारत को होता है। यह भी देखा जाता है कि डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी के मामले में, अन्य देशों को लगभग ***% निर्यात संबद्ध कंपनी को होता है। इसी प्रकार, केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के मामले में, ***% निर्यात संबद्ध कंपनी को होता है। यदि असंबद्ध कंपनियों को किए गए निर्यात को छोड़ दिया जाए, तो भारत को होने वाले निर्यात का हिस्सा भारत को होने वाले कुल निर्यात का 29% है।

च. <u>चीनी उत्पादकों द्वारा धारित काफी क्षमताएँ</u>

107. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन में उत्पादक उच्च क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। प्राधिकारी ने प्रतिभागी निर्यातकों के आंकड़ों की जाँच की है। नीचे दी गई तालिका उत्पादकों की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	क्षमता एमटी में	क्षमता उपयोग %	बेकार क्षमता एमटी में
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***
6	भाग लेने वालों की कुल संख्या	17,800	56.54%	7,736

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। यह क्षमता घरेलू माँग से अधिक है, जो निर्यात उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे उत्पादन के एक बड़े हिस्से से भी सिद्ध होता है। निर्यात के लिए पहले से ही पर्याप्त

क्षमता का उपयोग किए जाने के बावजूद, प्रतिभागी चीनी निर्यातकों के पास अकेले अप्रयुक्त क्षमता है जो सकल भारतीय माँग से काफी अधिक है। अत:, चीनी उत्पादक संपूर्ण भारतीय माँग को पूरा करने की स्थिति में हैं। बेकार क्षमताओं की मौदूदगी यह दर्शाती है कि शुल्कों के अभाव में इनका उपयोग भारत को निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है।

109. यह पहले ही पाया जा चुका है कि भारतीय बाजार कीमत-आकर्षक है, अत यह भी देखा जाता है कि चीन में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग भारत में घरेलू माँग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। चीन में क्षमता भारतीय माँग से कहीं अधिक है।

छ. <u>अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा उपाय लगाना</u>

110. आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत नए प्रशुल्क के आलोक में, चीन के उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना निर्यात बाजार स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेदक ने इस तर्क के समर्थन में निम्नलिखित सूचना प्रदान की है। यह देखा जाता है कि अमेरिका को निर्यात की वर्तमान मात्रा सकल भारतीय माँग के दोगुने से भी अधिक है। इस प्रकार, यदि चीनी उत्पादकों को अमेरिकी बाजार से हाथ धोना पड़ता है (जो कि यूएसए द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि के साथ निश्चित है), तो चीनी उत्पादकों द्वारा भारत को अपने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

क्र.सं.	वर्ष	कुल निर्यात	यूएसए को निर्यात	कुल निर्यात में यूएसए को निर्यात का हिस्सा
1	2020	19,655	2,374	12%
2	2021	26,570	3,420	13%
3	2022	31,732	5,695	18%
4	2023	32,124	5,555	17%
5	2024	32,003	6,020	19%

स्रोत – आवेदन-पत्र में दिए गए प्रशुल्क कोड 390469 के लिए ट्रेडमार्क डेटा।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और मूल जाँच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जाँच की जा चुकी है, तथापि, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है या पहुँचाने की संभावना है। यह जाँच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं या योगदान देने की संभावना रखते हैं।

क. <u>तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत</u>

112. अन्य देशों से काफी आयात हैं। ये आयात चीन से आयात कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर हैं। इस प्रकार, अन्य देशों से आयात कीमत घरेलू उद्योग को वर्तमान या संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ख. <u>मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन</u>

113. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि का रुझान रहा है। अतः, मांग में संभावित कमी घरेलू उद्योग के लिए वर्तमान या संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ग. <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां</u>

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं।

घ. <u>प्रौद्योगिकी का विकास</u>

115. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आवेदक ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने हाल ही में अपनी क्षमताओं में काफी मात्रा वृद्धि की है।

ङ. <u>निर्यात निष्पादन</u>

116. यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने निर्यात निष्पादन को घरेलू निष्पादन से पृथक कर दिया है, और इस प्रकार, इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

च. <u>अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

117. आवेदक ने केवल संबद्ध सामानों के संबंध में पृथक आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।

छ. <u>उत्पादकता</u>

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इस प्रकार उसे कोई क्षति नहीं हुई है।

ज. <u>पाटन और क्षति की संभावना पर समग्र निष्कर्ष</u>

119. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं: -

i. क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और जाँच अवधि में यह सर्वाधिक थी।

ii. भारत में खपत के संदर्भ में संबद्ध आयातों में वृद्धि का रुझान देखा गया है।

iii. समग्र आधार पर मूल्य कटौती नकारात्मक है। को-पॉलिमर रॉ गम (FCP#RG0001) और टेरपॉलिमर बिस-फिनॉल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (FCP#PC0005) के लिए मूल्य कटौती सकारात्मक है।

iv. लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण, जाँच अवधि के दौरान आवेदक की कीमतों में कोई कमी या गिरावट नहीं आई है।

v. लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

vi. लाभप्रदता 2022-23 में बढ़ी, लेकिन 2023-24 में घट गई और जाँच अवधि में फिर से बढ़ गई है।

vii. आवेदक के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उसका हिस्सा 50% से कम है। चीन से आयात बाजार के एक-चौथाई हिस्से की पूर्ति करता है।

viii. तीसरे देशों के निर्यात में डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन, भारतीय बाजार की मूल्य आकर्षण क्षमता, आयात में वृद्धि की संभावना को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है।

ix. विषयगत देश के उत्पादकों के पास पर्याप्त निर्यात योग्य क्षमता है और उनका अधिकांश उत्पादन निर्यात बाजार के लिए है।

x. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि भारतीय बाजार भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए एक आकर्षक निर्यात बाजार है।

xi. भारतीय बाजार में कीमतें आकर्षक हैं, जिससे उत्पादकों को उपायों की समाप्ति की स्थिति में अपने निर्यात को भारतीय बाजार में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

120. लागू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप, आवेदक के कार्यनिष्पादन में मात्रा और मूल्य दोनों मानकों में सुधार हुआ है। अतः, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को निरंतर क्षति नहीं हुई है।

121. चीन से आयात में वृद्धि हुई है और पाटनरोधी शुल्क के अभाव में, पाटित कीमतों पर आयात और घरेलू कीमतों में कटौती से उद्योग पर प्रतिकूल मूल्य प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शुल्क की अवधि समाप्त होने की स्थिति में, पाटन जारी रहने/पुनरावृत्ति होने और परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

122. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु, विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ क्षति-रहित कीमत की तुलना की गई है। क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्यय और/या परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/या

क्षति-रहित कीमत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व 22%) को ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई है ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षति रहित कीमत निकाली जा सके।

क्र.सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत डॉ./एमटी	पहुंच कीमत डॉ./एमटी	क्षति मार्जिन डॉ./एमटी	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन %
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***	नकारात्मक
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
6	अन्य	***	***	***	***	55%

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

123. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ट.2. आवेदक के अनुरोध

124. आवेदक ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. संबद्ध सामानों का उपयोग मुख्यतः ऑटोमोटिव उद्योग में ओ-रिंग और गास्केट के निर्माण के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग इंजन, ट्रांसमिशन, ईंधन प्रणाली और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के निर्माण में किया जाता है।

ख. इन निर्माताओं को कीमतों में कोई वृद्धि वहन नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये उत्पाद आयातित नहीं होते। इन घटकों के निर्माता इनपुट की कीमतों में किसी भी वृद्धि का भार सीधे ऑटोमोटिव निर्माता पर डालते हैं।

ग. रिफाइनरी क्षेत्र भी कच्चे तेल को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए इस उत्पाद का उपयोग उपभोग्य वस्तु के रूप में करता है। चूँकि यह इस क्षेत्र में कच्चा माल भी नहीं है, इसलिए कीमतों में किसी भी वृद्धि का उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

घ. आवेदक ने देश में बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्षति अवधि के दौरान 3600 एमटी क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है, जो शुल्कों के निरस्त होने पर जोखिम में है।

ड. 2018 में मूल जाँच के समय, संबद्ध सामानों के लिए माँग-आपूर्ति में अंतर था। तथापि, शुल्कों ने आवेदक को बढ़ने का अवसर दिया है और अब कोई अंतर नहीं है।

च. शुल्कों को जारी रखने से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा और यह भुगतान संतुलन खाते के अनुकूल होने की दिशा में एक कदम होगा।

छ. किसी भी प्रयोक्ता ने जाँच में भाग नहीं लिया है, जिससे पता चलता है कि लागू शुल्कों का प्रयोक्ता उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

125. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या सिफारिश किया गया पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण आवेदक, विदेशी उत्पादकों और प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकार्ड और हितों से संबंधित सूचनाओं पर विचार किए जाने के आधार पर किया गया है।

126. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान समीक्षा जाँच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें पाटनरोधी शुल्क का उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता को बदलने की क्षमता, प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों के बारे में सूचना मांगी है जो पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं।

127. यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः, पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों के कारण आवेदक को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तर के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके निर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से आवेदक के कार्य-निष्पादन मानदंडों में उस गिरावट को रोका जा सकेगा जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप हो सकती है और विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

128. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस समीक्षा जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल आवेदक ने ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। आवेदक ने आवेदक से संबंधित सूचना दी है। संबद्ध सामानों का कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं आया है। किसी भी प्रतिभागी पक्षकार ने लागू शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव का दावा या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्यों का अभाव और हितबद्ध पक्षकारों का मौन निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों को सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता को पुष्ट करती है।

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा संयंत्र की स्थापना से पहले, भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। आवेदक ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। आवेदक ने क्षति की अवधि में एक नया संयंत्र भी स्थापित किया है।

130. घरेलू उद्योग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन शुल्कों से उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए कोई बड़ी लागत नहीं हैं। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लागू शुल्कों का उपयोगकर्ता उद्योग और उनके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

131. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह उल्लेखनीय है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, आवेदक की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति कई अन्य देश भी कर रहे हैं।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की गई है:

क. केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और झोंगहाओ चेंगगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल उद्योग कंपनी लिमिटेड, अपने संयुक्त उद्यम संबंध के बावजूद, स्वतंत्र कंपनियां हैं। वे अलग-अलग काम करते हैं, एक ही बाज़ार में मुकाबला करते हैं, और इस जांच में उन्होंने अलग-अलग उत्तर दायर किए हैं।

ख. जांच की मौजूदा अवधि के दौरान, सोलवे स्पेशलिटी पॉलीमर्स (चांगशू) कंपनी लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया है। प्रकटन विवरण में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं दर्शाए गए हैं।

ग. जबकि कुछ उत्पादकों के लिए क्षति का मार्जिन नकारात्मक है, कीमत कटौती सकारात्मक रहती है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद को क्षतिरहित कीमत से अधिक कीमतों पर बेचने में सक्षम रहा है, जिससे क्षति कम हुई है।

घ. आयात की मात्रा तय करते समय, सीसीएफ से जांच अवधि के आंकड़े पर विचार किया गया है, लेकिन पिछली क्षति की अवधि के लिए आयात की मात्रा को समायोजित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप क्षति के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली आयात की मात्रा में विसंगति आई है।

ड. प्रकटन विवरण में गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि को-पॉलीमर रॉ गम (एफसीपी#आरजी0001) और टरपॉलीमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (एफसीपी#पीसी0005) दोनों के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है, हालांकि, एफसीपी#पीसी0005 के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।

च. पैरा 68 और पैरा 70 में आयात की मात्रा में बेमेल है।

छ. प्राधिकारी को क्षति की संभावना का मूल्यांकन करते समय कुल आयात के बजाय पाटित आयात पर अपना विश्लेषण केंद्रित करना चाहिए क्योंकि 3 उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

ज. प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर तीसरे देश की पाटन की जांच नहीं की है, जो निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में पीसीएन हैं।

झ. आवेदक जांच की अवधि के बाद के आंकड़े प्रदान करने में विफल रहा है, और प्राधिकारी पाटन के जारी रहने या शुल्क समाप्त होने पर होने वाली क्षति की संभावना को दिखाने के लिए आंकड़े का विश्लेषण करने में विफल रहे हैं।

ञ. सीसीएफ ने मूल और पहली निर्णायक समीक्षा जांच की जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया था और इसलिए उसे वर्तमान जांच में एक दर दी जानी चाहिए।

ट. झोंगहाओ चेनगुआंग और सीसीएफ संबंधित पक्षकार हैं क्योंकि यह रिश्ता व्यापार सूचना सं. 9/2018 के दायरे में आता है, जो एक ऐसा रिश्ता स्थापित करता है जहां एक व्यक्ति दो कंपनियों में 5% से ज़्यादा शेयर रखता है - इन दोनों कंपनियों को संबद्ध माना जाता है।

ठ. सीसीएफ के उत्पाद घरेलू उद्योग को कभी क्षति नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सीसीएफ की कीमतें गैर-पाटन वाली पाई गई हैं और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक नहीं हैं। सीसीएफ गुणवत्ता के उत्पाद बेचता है, और इसकी कीमतें भविष्य में भी घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकतीं।

ड. प्राधिकारी से अनुरोध है कि जांच की अवधि के दौरान टीजेडसीएल या केमर्स शंघाई के मूल के निर्यात जांच की अवधि में भारत को होने के लिए विशेष रूप से खोजकर डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों का सत्यापन करे। इन कंपनियों से जुड़े आंकड़े को भारत में सीसीएफ के उत्पाद के आयात को दर्शाने वाला माना जाना चाहिए।

ढ. आवेदक ने अपना ध्यान एक उत्पादक द्वारा क्षमता बढ़ाने पर रखा है, लेकिन वे अधिशेष क्षमता सिद्ध करने के लिए कोई ठोस आंकड़े देने में विफल रहे हैं।

ठ.2. आवेदक का अनुरोध

133. आवेदक ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां दायर की हैं:

क. 2017-18 से पहले, भारत से संबद्ध सामानों का कोई देशी उत्पादन नहीं होता था। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन इससे नए उत्पादक भी भारतीय बाज़ार में आए हैं।

ख. केमर्स कंपनी (यूएसएफ) एसआरएफ लिमिटेड के साथ भागीदारी में भारत में घरेलू उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। भारतीय उद्योग की लंबे समय तक दीर्घावधि वृद्धि बनाए रखने के लिए पाटनरोधी उपायों का जारी रहना बहुत ज़रूरी है।

ग. जबकि जांच की अवधि के दौरान टरपॉलीमर की कीमतें 3,146 रुपये प्रति किग्रा. थीं, चीनी उत्पादकों में से एक ने टरपॉलीमर उत्पादों को बहुत कम कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय उद्योग को क्षति होने का खतरा है।

घ. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गए है और इसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य बहुत कम हो गया है।

ड. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि सामान्य मूल्य निर्धारित करते समय कैप्टिव इनपुट के संबंध में लाभ का एक उचित हिस्सा शामिल किया जाए। लाभ मार्जिन को शामिल न करने से उत्पाद का सही आर्थिक मूल्य पता नहीं चलता है। हालांकि, इस पर विचार नहीं किया गया है।

च. नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, आयात कीमत के आधार पर आर142 बी का मूल्यांकन सही नहीं है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अपनी उत्पादन सुविधाओं पर किए गए फिक्स्ड कॉस्ट को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। आर142बी की लागत तय करने के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया जाना चाहिए। यदि प्राधिकारी को लगता है कि उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार

करना अनुचित नहीं होगा, तो प्राधिकारी से अनुरोध है कि खरीद कीमत में निर्धारित लागत को जोड़ने पर विचार करें।

छ. अधिनियम की धारा 9क (5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार, निर्णायक समीक्षा का एकमात्र उद्देश्य और प्रयोजन संबंधित कारकों की जांच के बाद यह तय करना है कि क्या लागू करने की अवधि को और पांच साल के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है।

ज. यदि किसी पक्षकार को पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को फिर से तय करने की आवश्यकता है, तो पक्षकार कानून के तहत समीक्षा के प्रावधानों के माध्यम से प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को फिर से तय करने के लिए निर्णायक समीक्षा उपयुक्त समीक्षा नहीं है।

झ. डब्ल्यूटीओ सदस्य देश, जैसे यूरोपीय संघ (ईयू), यूएसए, चीन, अर्जेंटीना आदि, पाटनरोधी की समान मात्रा बढ़ाते हैं और निर्णायक समीक्षा में मात्रा को फिर से तय नहीं करते हैं।

ञ. चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) से कॉस्टिक सोडा की निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने पीटी एसाहिमास और ट्रिकॉन के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन किया। क्योंकि शुल्क लगने की संभावना थी, इसलिए प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में तय किए गए उन्हीं शुल्कों की सिफारिश की।

ट. विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात से जुडी निर्णायक समीक्षा जांच में, पीटी एशिया पैसिफिक ने मूल और पहली निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया था। दूसरी निर्णायक समीक्षा में उत्पादक के लिए निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन नकारात्मक था। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार बार होने की संभावना है और उत्पादक के लिए पहली निर्णायक समीक्षा जांच में निर्धारित उन्हीं शुल्कों की सिफारिश की।

ठ. जब तक पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, ऐसी स्थितियों में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में परिवर्तन से कोई निश्चयात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनपुरोधों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और दावों को दोहराते हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम परिणामों के संबंधित संगत पैराओं में आवश्यक सीमा तक उनका समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दे और जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना है, उनकी जांच नीचे की गई है। कोई भी अनुरोध जो पूर्व अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

135. केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड की टिप्पणियों के संबंध में कि वह चेंगगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड से संबद्ध है, प्राधिकारी का मानना है कि ऐसी स्थिति में जहां दो कंपनियां स्वतंत्र कंपनियों के रूप में काम कर रही हैं और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं (जैसा कि दोनों कंपनियों के अनुरोधों से सिद्ध होता है जिसमें एक कंपनी ने दोनों कंपनियों के लिए समान शुल्क मांगा है, जबकि दूसरी कंपनी ने इसका विरोध किया है) और जहां दोनों कंपनियां एक ही पीसीएन के तहत आने वाले उत्पाद को काफी अलग कीमतों पर बेच रही हैं, यह स्पष्ट है कि कानूनी संबंध के बावजूद, दोनों कंपनियां अपनी कीमत और पाटन व्यवहार के संबंध में दो अलग और स्वतंत्र कानूनी कंपनियां हैं। घरेलू उद्योग और झोंगहाओ चेंगगुआंग दोनों ने तर्क दिया है कि इन कंपनियों ने अलग-अलग व्यावसायिक कंपनियों के रूप में काम किया है। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि दोनों कंपनियों को संबद्ध मानना उचित नहीं होगा। इसी तरह, प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि झोंगहाओ चेंगगुआंग के लिए पहले से निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क को केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात पर लागू करना उचित नहीं होगा।

136. पैरा 68 और 70 में कीमत कटौती के संबंध में आयात की मात्रा में बेमेल होने की टिप्पणियों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 68 में कीमत कटौती डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आंकड़ों पर आधारित है और पैरा 70 में कीमत कटौती भाग लेने वाले उत्पादकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है जैसा कि संबंधित पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है।

137. प्राधिकारी यह पाते हैं कि सोल्वे स्पेशलिटी पॉलीमर्स कंपनी लिमिटेड, हालांकि वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत है, ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। निर्माता ने कहा है कि जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने प्रश्नावली के भाग I और II का उत्तर नहीं दिया, जो निर्यात से जुड़ी सूचना से संबंधित है।

138. इस टिप्पणी पर कि प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर तीसरे देश की पाटन की जांच नहीं की है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर तीसरे देश की पाटन और क्षति का विश्लेषण किया है।

139. इस टिप्पणी के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने एक विदेशी उत्पादक द्वारा क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अधिशेष क्षमता साबित करने के लिए कोई ठोस आंकड़े देने में विफल रही है, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते है कि संभावना का विश्लेषण संबद्ध देश के प्रतिभागी उत्पादकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर किया गया है।

140. सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत पर की गई टिप्पणियों पर, इनकी गणना प्राधिकारी की सतत परिपाटी के आधार पर की गई है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

141. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बा होने की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि: -

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लूरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) है। फ्लूरोएलास्टोमर्स में रॉ गम और प्री-कंपाउंड दोनों रूपों में और अलग-अलग प्रकार के कोपॉलीमर और टर्पॉलीमर शामिल हैं। कंपाउंड और एफकेएम को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के तहत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. चेंगुआंग फ्लूरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, सिचुआन डोवॉन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, और अन्य गैर-प्रतिभागी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ड. संबद्ध देश से आयात की मात्रा पूर्ण दृष्ट से और सापेक्ष दृष्टि से बढ़ी है।

च. कीमत कटौती कुल मिलाकर नकारात्मक है। को-पॉलीमर रॉ गम (एफसीपी#आरजी0001) और टरपॉलीमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (एफसीपी# पीसी0005) के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है।

छ. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है, और उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

ज. घरेलू उद्योग को विगत में क्षति हुई थी। घरेलू उद्योग ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान लाभ कमाया है।

झ. भाग लेने वाली कंपनियों से तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर, भारत में बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत पर निर्यात की संचयी मात्रा कुल आयात, घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारत में खपत के संबंध में काफी अधिक है।

ञ. निर्यात के लिए पहले से ही उपयोग की जा रही महत्वपूर्ण क्षमताओं के अलावा, भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों के पास 7000 एमटी से अधिक अप्रयुक्त क्षमता है जो भारत में मांग का लगभग तीन गुना है।

ट. लागू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप, आवेदक के निष्पादन में मात्रा और कीमत मापदंडों में सुधार हुआ है। हालांकि, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचें है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाले क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है।

ठ. अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है।

ड. जांच में ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया जिससे यह पता चले कि ऐसे उपायों को जारी रखना जनहित में नहीं होगा।

ढ. एक और निर्माता केमर्स कंपनी (यूएसए) एसआरएफ लिमिटेड के साथ प्रतिभागिता में भारत में घरेलू उत्पादन शुरू कर रही है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखना भारतीय उद्योग की लंबे समय तक दीर्घावधि वृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ढ. <u>सिफारिशें</u>

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी संबंधित पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबद्ध पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

143. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि अगर पाटनरोधी उपायों को खत्म करने दिया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है, प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, यह देखते हुए कि शुल्क को पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। सहयोगी निर्यातकों द्वारा भारत और बाकी दुनिया को किए गए पाटन और क्षतिकारक निर्यातों की संचयी मात्रा पर विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने क्षति की संभावना पाई है, जिसका मूल्यांकन चीनी निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तर के आधार पर और भारत को उनके पाटित और क्षतिकारक निर्यातों की संचयी मात्रा पर विचार करते हुए किया गया है। प्राधिकारी

का मानना है कि मौजूदा जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क में बदलाव करना उचित नहीं होगा, यह देखते हुए कि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाया जा रहा है।

144. इसी के मद्देनजर, प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 7/03/2020-डीजीटीआर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 (जैसा कि शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया है) के अनुसार अधिसूचित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक समझते है, सिवाय उन उत्पादक निर्यातकों के जिन्होंने निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। इस निर्णायक समीक्षा जांच में सहयोग न करने वाले उत्पादक निर्यातकों को नीचे दी गई तालिका में बताए अनुसार अवशिष्ट शुल्क दिया गया है। इसके अलावा, केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और सिचुआन डोवॉन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने मूल और पहली निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया था और यह तथ्य कि प्राधिकारी ने संबद्ध समीक्षा जांच में क्षति की संभावना के आधार पर उपायों को जारी रखने की सिफारिश की है, प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादकों को व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क देना उचित नहीं होगा। हालांकि, उत्पादक नियमावली के अनुसार उचित समीक्षा की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

145. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में बताई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, संबंधित देश से अगले पांच (5) साल की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904 50 90. 3904 69 90.	*फ्लोरो इलास्टोमर्स*	*चीन जन.गण.*	*चीन जन.गण.*	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स	1.04	*कि.ग्रा.*	*यूएसडॉ.*

	3904 90 90, 3904 69 10**	*(एफकेएम)**		*सहित कोई देश*	(चीन) कं, लिमिटेड			
2	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झोंगहाओ चेंगगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल उद्योग कं, लिमिटेड	1.30	*कि.ग्रा.*	*यूएसडॉ.*
3	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	चेंगगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं, लिमिटेड।	3.85	*कि.ग्रा.*	*यूएसडॉ.*
4	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	*ऊपर क्र.सं. 1 से 3 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक*	8.86	*कि.ग्रा.*	*यूएसडॉ.*
5	-वही-	-वही-	*चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश*	*चीन जन.गण.*	*कोई*	8.86	*कि.ग्रा.*	*यूएसडॉ.*

*विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र *फ्लूरोएलास्टोमर्स है। जिसमें कोपॉलीमर फ्लूरोएलास्टोमर्स, टरपॉलीमर फ्लूरोएलास्टोमर्स शामिल हैं। कोपॉलीमर रॉ गम, कोपॉलीमर प्री कंपाउंड, टरपॉलीमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल रॉ गम, टरपॉलीमर पेरोक्साइड क्यूरेबल रॉ गम और टरपॉलीमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल रॉ गम शामिल हैं। हालाँकि, एफकेएम कंपाउंड और परफ्लूरोएलास्टोमर (एफकेएम) संबद्ध सामानों के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।*

** *सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

146. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी